

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ शुद्धि-पत्र ॥

संख्या-12/प0 1008/10-सा0प्र0- 13810 / पटना-15, दिनांक- 12.10.18
27.4.2018 के क्रमांक 08 पर अंकित श्रीमती कुमारी अनुपमा सिंह, कोटि क्रमांक 1297/11, गृह
जिला-रोहतास के स्थान पर शुद्ध रूप में पदाधिकारी का नाम श्रीमती कुमारी अनुपमा सिंह
पढ़ा जाय ।

अधिसूचना सं0-5604 दिनांक 27.4.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
12/10/18
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0 1008/10-सा0प्र0- 13810 / पटना-15, दिनांक- 12.10.18

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण
कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव,
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/
संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार,
पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक,
आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने
हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्रि कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/10/18
सरकार के अपर सचिव